IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–19
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
ऑफिस काम्पलेक्स–चतुर्थ तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
email - cd19lko@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
SQMS

पत्र सं0– / 87 / दिनांक–

पूर्णता प्रमाण–पत्र

वृन्दावन योजना सं0–4, सेक्टर–18, लखनऊ में कहलो सहकारी आवास समिति लि0, लखनऊ के पक्ष में समायोजित भूमि पर स्वीकृत ले–आउट के सापेक्ष मुख्य वास्तुविद नियोजक द्वारा अनुमोदित पूर्णता प्रमाण–पत्र खण्ड कार्यालय से निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–चतुर्थ, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ के पत्र सं0–2809/वा0नि0–04 दिनांक–05.11.218 के क्रम में स्वीकृत ले–आउट के सापेक्ष पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है :–

1–ले–आउट में सृजित सम्पत्तियों के परिवर्धन/संशोधन हेतु निर्माण एवं विकास कार्य की अनुमति परिषद के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी वास्तुकला एवं नियोजन इकाई, लखनऊ से बिल्डिगं भवन मानचित्र स्वीकृत कराके ही निर्माण कार्य करेगें।

2–मुख्य शमन अधिकारी द्वारा जारी अग्निशमन सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक–02.02.2018 के अनुसार शर्तों/निर्देशों का क्रियान्वयन स्थल पर सुनिश्चित किया जाता रहेगा कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र की वैद्यता बनी रहे।

3–ले–आउट में सृजित सम्पत्तियों के आवंटियों के मध्य रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन का क्रियान्वयन सुसंगत आदेशों के अधीन किया जायेगा।

4–समिति द्वारा ले–आउट में विकसित इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज यथा सीवरेज, ड्रेनेज, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति व अन्य सुविधाओं का रख रखाव सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे क्षेत्र के आवंटियों को कोई असुविधा न हो। अन्यथा की दशा में समिति ही उत्तरदायी रहेगी।

5–प्रश्नगत क्षेत्र/स्थल के सम्बन्ध में क्रियान्वयन के दृष्टिगत किसी भी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज हेतु देयता के आधार पर परिषद द्वारा प्रस्तुत की गयी माँग को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–19 द्वारा जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं भविष्य में योजना स्तर पर सुविधाओं/इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज हेतु परिषद द्वारा समानुपातिक धनराशि मांगे जाने पर उसे समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाना होगा।

उपरोक्त अनुमोदन में निहित शर्तों व प्रतिबन्धों के अतिरिक्त कहलो सहकारी आवास समिति लि0 के वृन्दावन योजना के सेक्टर–04, लखनऊ के सेक्टर–18 में समायोजित भूमि पर पूर्व स्वीकृत ले–आउट के अनुसार (25400.58 वर्गमी0 भूमि पर) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन यह पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है :–

1–स्वीकृत ले–आउट प्लान में सृजित सम्पत्तियों के परिवर्धन/संशोधन हेतु निर्माण एवं विकास कार्य की अनुमति परिषद के सम्बन्धित सक्षम स्तर से भवन मानचित्र स्वीकृत कराके ही निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करना होगा।

क्रमशः–2

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्गत एन0ओ0सी0 तथा नियमानुसार विद्युत सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से निर्गत एन0ओ0सी0 की नियम/शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में समिति द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

3–लेआउट में सृजित सम्पत्तियों के आवंटियों के मध्य रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसियेशन का कियान्वयन सुसंगत आदेशों के अधीन किया जाना अनिवार्य होगा।

4–समिति द्वारा लेआउट में विकसित इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज यथा–सीवरेज, ड्रेनेज, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति व अन्य सुविधाओं का रखरखाव सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा जिससे क्षेत्र के आवंटियों को कोई असुविधा न हो। अन्यथा की स्थिति में समिति ही उत्तरदायी होगी।

5–प्रश्नगत क्षेत्र/स्थल के सम्बन्ध में कियान्वयन के दृष्टिगत किसी भी इन्फास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज हेतु देयता के आधार पर परिषद द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग को परिषद में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा एवं भविष्य में योजना स्तर पर सुविधाओं/इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज हेतु परिषद द्वारा समानुपातिक धनराशि मांगे जाने पर उसे समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

6–समिति द्वारा भूखण्ड के किसी भी भाग/क्षेत्र का सब–डिवीजन अनुमन्य नही किया जायेगा एवं ऐसा न पाये जाने पर परिषद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

7–समिति द्वारा ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु प्राविधान उपविधि का अनुपालन निर्माण कार्य में सुनिश्चित करना होगा।

8–शासनादेश के अनुसार आरक्षित हरित क्षेत्र में रोपित पौधों/वृक्षों के रख रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था समिति द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

9–ले–आउट प्लान में किये गये प्राविधानानुसार सम्पत्तियों को सृजित कर परिषद में भवन का मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त भवन का निर्माण समिति के सदस्यगणें द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

10–उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम–1965 की धारा–14(2) के अन्तर्गत शासन की नई संशोधित उपविधि–2004 एवं परिषद के सहकारिता अनुभाग के पत्रांक–846/सह0/दिनांक–07.06.2005 में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

11–समिति द्वारा भविष्य में शासन/परिषद द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेश/नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12–स्थानीय निकाय को योजना की सेवायें (जैसे–सडक, ड्रेन, जलापूर्ति, सीवरेज, पार्क आदि) के हस्तान्तरण के समय समिति द्वारा अनुपातिक सहभागिता एवं समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करनी होगी।

क्रमशः–3

13–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास परिषद अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों का अनुपालन तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 में निहित समस्त धाराओं के प्राविधानों का अनुपालन समिति द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

(रमेश चन्द्र यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पत्र सं0– 2416 / 302 / 111 दिनांक– 06-11-18

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अपर आवास आयुक्त एवं सचिव(म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2–मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3–अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4–उप आवास आयुक्त, लखनऊ जोन/भूमि अर्जन, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।
5–वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–चतुर्थ, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6–सम्पत्ति प्रबन्धक, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, वृन्दावन योजना, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, प्रथम तल, वृन्दान योजना, लखनऊ।
7–सहायक अभियन्ता–तृतीय/श्री जयप्रकाश मौर्य, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड–19, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8–श्री गुरुबचन सिंह, सचिव, कहलो सहकारी आवास समिति लि0, एन0सी0बी0 सिंगार नगर, आलमबाग, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता